

2025/259

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्या- 180/2025

दिनांक- 4/7/2025

उनवान

श्री गणेश नारायण पुत्र  
केदार लाल

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का शिवाड B भू. अ. नि. शिवाड एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम शिवाड पो ह 0 शिवाड B की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 652 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>शेखरी प्रविष्टि</u>	<u>गणेश नारायण सोनी पुत्र केदार लाल स्वर्णकाट डि. 602 1959</u> <u>गणेश नारायण सोनी पुत्र केदार लाल स्वर्णकाट डि. 101/653 शेख शेखन खरं पत्ता.</u>	<u>गणेश नारायण सोनी पुत्र केदार लाल स्वर्णकाट डि. 905 1959</u> <u>शेख शेखन खरं पत्ता.</u>

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा  
चौथ का बरवाड़ा (सं. मा. 0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री गणेश नारायण पुत्र केदार लाल स्वर्णकाट
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा  
चौथ का बरवाड़ा (सं. मा. 0)